



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 325]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2019—श्रावण 4, शक 1941

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्रमांक: एफ 2-7-2018-छब्बीस-1-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत म0प्र0 दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में विधि और विधायी कार्य विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है :-

अनुसूची "एक"

(1) विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, सचिव.

अनुसूची "दो"

निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग : विधि और विधायी कार्य विभाग

| श्रेणी | पद/संवर्ग का नाम | सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद | योग | निःशक्त जनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (06 प्रतिशत के मान से) | चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या | | | | योग (6+7+8+9) | रिमांक |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|---|---|-------------------------------------|---|---|---------------|--------|
| | | | | | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत) | बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत) | लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5 प्रतिशत) | ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| द्वितीय श्रेणी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| तृतीय श्रेणी | सहायक ग्रेड-3 | 97 | 97 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| | अनुवादक अंग्रेजी स्टेनोग्राफर | 22 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | सहायक ग्रंथपाल | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | सहायक ग्रंथपाल | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | स्टेनो टाईपिस्ट | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | डाटा एन्ट्री आपरेटर | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | वाहन चालक | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ग्रंथपाल सहायक | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | योग:- | 174 | 174 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| चतुर्थ श्रेणी | 74 | 74 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | रेग्युलर कंटीजेंसी | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| | योग:- | 94 | 94 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| | महायोग:- | 268 | 268 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |

आदेश से,
अलका श्रीवास्तव,
सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्रमांक: एफ 2-7-2018-छब्बीस-1-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत म0प्र0 दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में राजस्व विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है :-

अनुसूची "एक"

(1) राजस्व विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, सचिव.

अनुसूची "दो"

निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग का नाम:-राजस्व विभाग

| विभाग का नाम : राजस्व विभाग | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---|-----|--|---|---|--|---|----------------------|-----------|
| श्रेणी | पद/ संवर्ग का नाम | सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद | योग | निःशक्तजनों के लिए चिन्हांकित पदों की संख्या का कुल योग (6%) | चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या | | | | योग (6+7+8 +9) | रिमा क |
| | | | | | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 %) | बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %) | लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्भिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%) | ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| तृतीय श्रेणी कार्य पालिक | नायब तहसील दार | 71 | 71 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | - |
| योग | | 71 | 71 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | - |

आदेश से,
अलका श्रीवास्तव,
सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्रमांक: एफ 2-7-2018-छब्बीस-1-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत म0प्र0 दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है :-

अनुसूची "एक"

(1) तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, सचिव.

अनुसूची "दो"

निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग का नाम:- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

| श्रेणी | पद/संवर्ग का नाम | सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद | योग | निःशक्त जनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (06 प्रतिशत के मान से) | चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या | | | | योग (6+7+8+9) | रिमांक |
|---------|-----------------------|-------------------------------|-----|---|---|-------------------------------------|---|---|---------------|--------|
| | | | | | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत) | बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत) | लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी(1.5 प्रतिशत) | ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| द्वितीय | प्राचार्य वर्ग-2 | 96 | 96 | 06 | 02 | 02 | 01 | 01 | 6 | |
| | सहायक संचालक (तकनीकी) | 51 | 51 | 03 | 01 | 01 | 01 | 0 | 3 | |
| | व्याख्याता (आईटी) | 24 | 24 | 01 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1 | |
| | प्रोग्रामर | 01 | 01 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | कुल योग:- | 172 | 172 | 10 | 03 | 03 | 03 | 01 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|------|------|--|---------------------------|----------------------------------|----|----|-----|
| पृतीय | प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिन्दी / अंग्रेजी | 79 | 79 | 05 | 02 (कम दृष्टि हेतु) | 01 (कम सुनने वाले हेतु) | 01 | 01 | 5 |
| | प्रशिक्षण अधिकारी भाषा हिन्दी / अंग्रेजी | 68 | 68 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 4 |
| | प्रशिक्षण अधिकारी, व्यापार प्रबंधन | 02 | 02 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | प्रशिक्षण अधिकारी व्यवसाय गणित / झार्डिंग | 2528 | 2528 | 152 | 38 (कम दृष्टि हेतु) | 38 (कम सुनने वाले हेतु) | 38 | 38 | 152 |
| | प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन | 32 | 32 | 02 | 01 | 01 | 0 | 0 | 2 |
| | छात्रावास अधीक्षक | 58 | 58 | 03 | 01 | 01 | 01 | 0 | 3 |
| | सहायक वर्ग-3 | 488 | 488 | 29 | 08 | 08 | 08 | 08 | 32 |
| | शिनेमा वीडियो आपरेटर | 1 | 1 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | स्टेनो टायपिस्ट | 10 | 10 | 01 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1 |
| | डाटा एन्ट्री आपरेटर | 03 | 03 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कम्पाउंडर | 26 | 26 | 02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | ड्रेसर | 16 | 16 | 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | वाहन चालक | 42 | 42 | 03 (उक्त 3 पद सहा. वर्ग 3 में जोड़े) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|------|------|-----|----|----|----|----|-----|
| | मेन्टेनेंस मेकेनिक | 16 | 16 | 01 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1 |
| | कुल योग:- | 3369 | 3369 | 203 | 51 | 52 | 52 | 48 | 203 |
| चतुर्थ | कर्मशाला सहायक | 301 | 301 | 18 | 05 | 05 | 04 | 04 | 18 |
| | चतुर्थ श्रेणी | 842 | 842 | 51 | 12 | 11 | 11 | 17 | 51 |
| | कुल योग:- | 1143 | 1143 | 69 | 17 | 16 | 15 | 21 | 69 |
| | महायोग :- | 4684 | 4684 | 282 | 71 | 71 | 70 | 70 | 282 |

आदेश से,
अलका श्रीवास्तव,
सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्रमांक: एफ 2-7-2018-छब्बीस-1-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत म0प्र0 दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में श्रम विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है :-

अनुसूची "एक"

(1) श्रम विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, सचिव.

अनुसूची "दो"

निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग का नाम:- श्रम विभाग(कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं)

| श्रेणी | पद/सर्वर्ग का नाम | सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद | योग | निःशक्त जनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (06 प्रतिशत के मान से) | चिन्हांकित पद/सर्वर्ग एवं संख्या | | | | योग (6+7+8 +9) | |
|---------|---|-------------------------------|-----|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------|----|
| | | | | | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत) | बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत) | लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुछ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5 प्रतिशत) | ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| द्वितीय | बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/ सहायक शल्य चिकित्साक कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं म.प्र. | 279 | 279 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| तृतीय | सहायक साख्खिकी अधिकारी | 02 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | सहायक ग्रेड 3 | 124 | 124 | 09 | 03 | 02 | 2 | 02 | 02 | 09 |
| | स्टाफ नर्स | 203 | 203 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| | मिडवाइफ | 61 | 61 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | जार्नलिस्ट ग्रेड 2 | 121 | 121 | 07 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 07 |
| | इंस्टर | 62 | 62 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 |
| | प्रयोगशाला सहायक | 20 | 20 | 01 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| | कनिष्ठ रेडियोग्राफर | 09 | 09 | 01 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 01 |
| | फैमेली वेलफेयर एज्यूकेटर | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | बायोकेमिस्ट | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | भंडिको सोशल वर्कर | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|
| आकृषक/संश्लेषण/प्राधिकारित | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| डायटिशियन | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आप्टोमेट्रिशियन | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| इलेक्ट्रिशियन | 02 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सोशल गाईड | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| हेल्थ विजिटर | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ओ.टी. टेकशियन | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दाई | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वाहन चालक | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| योग | 654 | 654 | 38 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 38 | | | | |
| चतुर्थ | | | | | | | | | | | | | | |
| टेलर | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कारपेंटर | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मैकेनिक | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| फुक / कुकमेंट | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वाई सेवक, स्वच्छक, चौकीदार, आया, भृत्य आदि | 759 | 759 | 45 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 |
| योग :- | 781 | 781 | 46 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 46 | 11 | 46 | 11 | 46 |
| महायोग | 1714 | 1714 | 101 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 101 | 20 | 101 | 20 | 101 |

वाहन चालक के 2 पदों को
उपरोक्त सहायक दर्जा 3 में
समायोजित किया गया।

| श्रेणी | पद/स्वर्ग का नाम | सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद | योग | विभाग का नाम : श्रम विभाग (औद्योगिक न्यायालय म.प्र. इंदौर) | | | | योग (6+7+8+9) | रिमार्क | |
|--------|------------------|-------------------------------|-----|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------|----|
| | | | | निःशक्त जनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (06 प्रतिशत के मान से) | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत) | बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत) | चिन्हांकित पद/स्वर्ग एवं संख्या | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| तृतीय | सहायक वर्ग 3 | 55 | 55 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| | स्टेनो टाईपिस्ट | 25 | 25 | | | | | | | |
| | स्टेनोग्राफर | 2 | 2 | | | | | | | |
| | वाहन चालक | 5 | 5 | | | | | | | |
| | योग | 87 | 87 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| चतुर्थ | भृत्य | 98 | 98 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| | घांकीदार | 7 | 7 | | | | | | | |
| | योग | 105 | 105 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| | महायोग | 192 | 192 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |

आदेश से,
अलका श्रीवास्तव,
सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्रमांक: एफ 2-7-2018-छब्बीस-1-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत म0प्र0 दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है :-

अनुसूची "एक"

- (1) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, सचिव.

अनुसूची "दो"

निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग का नाम- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

| श्रेणी | पद/संवर्ग का नाम | सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद | योग | निःशक्त जनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (06 प्रतिशत के मान से) | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत) | बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत) | चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या | | योग (6+7+8+9) | रिमांक |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|-----|---|---|-------------------------------------|---|---|---------------|--------|
| | | | | | | | लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कृच्छ्र रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5 प्रतिशत) | ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| द्वितीय | सहायक संचालक (क्षेत्र विस्तार) | 309 | 309 | 19 | 5 (कम दृष्टि वाले) | 5 | 5 | 4 | 19 | |
| | सहायक संचालक (लेखा/स्थापना) | 07 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | सहायक संचालक (सांख्यिकी) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | योग | 323 | 323 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | |
| तृतीय | सहायक सांख्यिकी अधिकारी | 69 | 69 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | मानचित्रकार (नक्शानवीश) | 37 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी | 76 | 76 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |

| श्रेणी | पद/संवर्ग का नाम | सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद | योग | निःशक्त जनों के लिये चिह्नकित पदों की संख्या कुल योग (06 प्रतिशत के मान से) | चिह्नकित पद/संवर्ग एवं संख्या | | | | योग (6+7+8+9) | रिमांक |
|--------|------------------------------|-------------------------------|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---------------|---|
| | | | | | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत) | बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत) | लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी (1.5 प्रतिशत) | ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | 6371 | 6371 | 381 | 95 | 95 | 95 | 96 | 381 | |
| | सर्वेयर | 966 | 966 | 57 | 14 | 15 | 14 | 14 | 57 | |
| | प्रयोगशाला सहायक | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | सहायक ग्रेड 3 के पद के विरुद्ध समायोजित कर लिया गया। |
| | अनुरेखक | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | सहायक ग्रेड 3 के पद के विरुद्ध समायोजन कर लिया गया है। |
| | स्टेनो टायपिस्ट | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | स्टेनो ग्राफर ग्रेड 3 | 39 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| | सहायक ग्रेड 3 | 667 | 667 | 63 | 16 | 16 | 16 | 15 | 63 | |
| | वाहन चालक | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | वाहन चालक के 17 चिह्नकित पदों के सहायक वर्ग 3 में समायोजित किया गया है। |

| श्रेणी | पद/संवर्ग का नाम | सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद | योग | निशक्त जनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (06 प्रतिशत के मान से) | चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या | | | | योग (6+7+8+9) | टिप्पणियाँ |
|--------|--|-------------------------------|-------|--|---|-------------------------------------|--|---|---------------|------------|
| | | | | | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत) | बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत) | लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5 प्रतिशत) | ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | योग | 8617 | 8617 | 514 | 129 | 130 | 128 | 127 | 514 | |
| चतुर्थ | भृत्य/चौकीदार / चैनमेन/वाहन चालक/ अन्य | 1573 | 1573 | 90 | 27 | 27 | 27 | 26 | 107 | |
| | | 276 | - | 17 | | | | | | |
| | योग | 1849 | 1573 | 107 | 27 | 27 | 27 | 26 | 107 | |
| | महायोग :- | 10789 | 10513 | 640 | 161 | 162 | 160 | 157 | 640 | |

आदेश से,
अलका श्रीवास्तव,
सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्रमांक: एफ 2-7-2018-छब्बीस-1-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत म0प्र0 दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में वन विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है :-

अनुसूची "एक"

(1) वन विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, सचिव.

अनुसूची "दो"

निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग का नाम:- **वन** विभाग

| श्रेणी | पद/संवर्ग का नाम | सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद | योग | निःशक्त जनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (06 प्रतिशत के मान से) | चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या | | | | योग (6+7+8+9) |
|--------|------------------------------|-------------------------------|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---------------|
| | | | | | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत) | बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत) | लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी (1.5 प्रतिशत) | ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेशलफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| तृतीय | स्टेनो हाईपिरस्ट/ शीघ्रलेखक | 97 | 97 | 6 | 2 | 1 (कम सुनने वाले हेतु) | 2 | 1 | 6 |
| | मानचित्रकार | 203 | 203 | 12 | 3 (कम दृष्टि हेतु) | 3 (कम सुनने वाले हेतु) | 3 | 3 | 12 |
| | सहायक ग्रेड 3 | 1116 | 1116 | 68 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 |
| | योग | 1416 | 1416 | 86 | 22 | 21 | 22 | 21 | 86 |
| चतुर्थ | भृत्य/ अर्दली/ खलासी/ फर्राश | 950 | 950 | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |
| | योग | 950 | 950 | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |
| | महायोग :- | 2366 | 2366 | 142 | 36 | 35 | 36 | 35 | 142 |

आदेश से,
अलका श्रीवास्तव,
सचिव.